न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 1/15 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2015/00117

उनवानी :–

1– कांता प्रसाद पुत्र सीताराम जाति खाती निवासी कस्वा नगर तह. नगर जिला भरतपुर

––––––––––अपीलांट

बनाम

1– रमेश चंद
2– सुरेश चंद | पिसरान हरी
3– महेश चंद
4– दिनेश चंद
5– नरेश चंद | पिसरान कमल खां जाति मेव निवासी भण्डारा तह. कामां
6– डालचंद पुत्र गोरधन मृतक
6.1 – फूलवती विधवा डालचंद
6.2 – बबलेश
6.3 – छोटू | पिस. डालचंद

7– भारतभूषण पुत्र रामस्वरूप
8– पप्पी पत्नि पुरूशोतम
9– पप्पू पुत्र पुरूषोतम नबालिग जरिये वली माता मुस. पप्पी पत्नि पुरूषोतम
10– पुष्पेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति खाती निवासी कस्वा नगर तह. नगर जि. भरतपुर

––––––––––असल रेस्पो

11– तहसीलदार नगर ––––––––––तरतीबी रेस्पो

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय एस.डी.ओ

कामां दिनांक 15.10.14 मु0न0 130/09

उनवानी कांताप्रसाद बनाम पुष्पेन्द्र

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री राजेश कुमार गुप्ता एड.

2– वकील रेस्पो. श्री राजेन्द्र शर्मा एड.

निर्णय दिनांक 23.03.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 1464/1.8 है0 व 1548/1.10 वाके कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित आराजी बाबत् अधि0 न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी द्वारा पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो को तलब किया गया। अधि. न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधि. न्याय. ने अपीलार्थी का वाद आंशिक रूप से खारिज किया हो, जबकि अपीलार्थी ने उभय पक्ष बकूबी साबित कर दिया था। अपीलार्थी का रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा था जिसका नया रकबा 0.23 है. होता है , जबकि सैटिलमेन्ट ने नया नं. 0.21 है. निर्मित किया है। इस के विपरित प्रत्यर्थी का रकबा 0.10 है. निर्मित किया है जो 10 बिस्वा से वय है, इस प्रकार प्रत्यर्थी का रकवा 2 ऐयर अधिक एवं अपीलार्थी का 2 ऐयर कम हो गया है। अतः अपीलार्थी को 2 ऐयर का खातेदार घोषित किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अधि. न्याय. में अपीलार्थी ने अपना वाद सिद्ध नहीं किया था। अतः वह अपील के स्तर पर किसी प्रकार के अनुतोश का अधिकारी नहीं हैं । अतः अपील खारिज की जावे।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड से अपीलार्थी का रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से 0.21 है बनना प्रकट है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी का रकबा 10 बिस्वा से 10 ऐयर बनना प्रकट है। प्रत्यर्थी दोनों रकवो को चिपटवा होना स्वीकार करते है। अधि. न्याया.में साविक रिकार्ड पेश ना होने के कारण वाद खारिज किया है। अपील के स्तर पर पेश दस्तावेज से अपीलार्थी के हित की पुष्टि होती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अपीलार्थी के आराजी खसरा नं. 1390 में 0.23 है. का खातेदार घोषित किया जात है एवं खसरा नं. 1388 के रकबे में से 0.02 हैं कम करते हुए खसरा नं. 1390 में भामिल किये जाने का आदेश दिया जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 23.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official